18.12.24

उभय पक्ष उपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। निर्णय अनुसार परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली
नंबर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।

आदेश खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2019/00103

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(पीठासीन अधिकारीः— सन्दीप कुमार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 82 / 2019(GCMS No. 2019/00103) दायर दिनांक 28.06.2019

अनवान :—

1. भादरराम पुत्र श्री भगवानीया जाति सांसी निवासी अर्जनोतपुरा तह0 सूरतगढ़

——वादी

बनाम

1. सहीराम पुत्र श्री भगवानीया जाति सांसी निवासी कमाणा तह0 व जिला हनुमानगढ राज0।
2. हरीराम
3. मंगलाराम
4. नन्दराम
5. औमप्रकाश

(2 से 5) पि0 भगवानीया अकवाम सांसी निवासीयान अर्जनोतपुरा तह0 सूरतगढ।

6. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा कूपली तह0 श्रीविजयनगर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 रा0 का0 अधिनियम

उपस्थित :— 1. अजय कुमार अरोड़ा एडवोकेट — वादी
2. प्रमेन्द्र सिंह भाटी एडवोकेट — प्रतिवादीगण
3. हरिसिंह भाटी एडवोकेट — प्रतिवादीगण
4. पैरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सूरतगढ

::—निर्णय—:: दिनांक :— 18 .12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि चक 7 जी.डी. एम. तह0 सूरतगढ जमाबंदी सम्वंत 2068 से 71 के खाता सं0 64 प0 नं0 240 / 31 में किला नं0 1 ता 25 / 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 बहिस्सा बराबर खातेदार है। यह कि उपरोक्त खाता संयुक्त होने से मौका पर काश्त में कठिनाईयां आ रही है। एवं अक्सर वादी एवं प्रतिवादीगण में विवाद हो रहे है। संयुक्त खाता होने के कारण वादी को भूमि सुधार करने में कठिनाई आ रही है। इस कारण वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है। यह कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। एवं झगड़ा करते रहते है। प्रतिवादी सं0 1 खाता विभाजन करवाए बिना ही इस भूमि में टयुबवैल लगाकर विद्युत कनैक्शन लेना चाहते है। प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के इस कार्य में विक्रय में विवाद पैदा हो सकता है। अतः खाता विभाजन किया जाना आवश्यक है। यह कि वादी ने दिनांक 20.06.2019 को प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 स्पष्ट इन्कार हो गए। यहीं से वादी को वाद कारण प्राप्त होता है। चुंकि प्रतिवादीगण खाता विभाजन की कार्यवाही को तैयार नहीं है। अतः वादी के पास न्यायिक सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त विकल्प शेष नहीं है। वादी राजस्व नियमो के तहत विधिवत खाता विभाजन कराना चाहता है। एवं वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र में प्रशनगत भूमि वाके चक 7 जी.डी.एम. तह0 सूरतगढ जमाबंदी सम्वंत 2068 से 71 के खाता सं0 64 प0 नं0 240 / 31 में किला नं0 1 ता 25 / 6.325 है0 कमाण्ड मय खाला का वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 5 के मध्य राजस्व नियमो को ध्यान में रखते हुए विधिवत खाता विभाजन करवाये जाने का निवेदन किया। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया। प्रतिवादीगण की तरफ से श्री परमेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री हरीसिंह भाटी अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रतिवादीगण सं0 1 से 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर जवाबदावा की दफा 3 में वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग कब्जा दर्शाते हुए मुताबिक कब्जा खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया। तत्पश्चात साक्ष्य ली गई। वादी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में वर्णित कब्जा अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खाता विभाजन का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष ने बरवक्त बहस जवाबदावा में अंकित कब्जा अनुसार खाता विभाजन करने में सहमति प्रकट की। पत्रावली में उपस्थित रिकॉर्ड एवं अभिवचनो का अवलोकन किया। चुंकि दोनो पक्ष मुताबिक अंकित कब्जा खाता विभाजन करवाने में सहमत है। अतः वादपत्र मय जावबदावा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद पत्र मय जवाब दावा स्वीकार किया जाता है। एवं वादपत्र में प्रशनगत भूमि चक 7 जी.डी.एम. तह0 सूरतगढ जमाबंदी सम्वंत 2072 से 75 के खाता सं0 84 प0 नं0 240/31 में किला नं0 1 ता 25/6.325 है0 कमाण्ड मय खाला का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है

(क) वादी भादरराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 6/0.042 है0, 7 ता 10/1.012 है0 = 1.054 है0।

(ख) प्रतिवादी सं0 1 सहीराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 21 ता 24/1.012 है0, 25/0.042 है0 = 1.054 है0।

(ग) प्रतिवादी सं0 2 हरीराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 16/0.042 है0, 17 ता 20/1.012 है0 = 1.054 है0।

(घ) प्रतिवादी सं0 3 मंगलाराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.042 है0 = 1.054 है0।

(ड़) प्रतिवादी सं0 4 नंदराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 5/0.211 है0, 6/0.211 है0, 15/0.211 है0, 16/0.211 है0, 25/0.211 है0 = 1.053 है0।

(ड़) प्रतिवादी सं0 5 औमप्रकाश चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 1 से 4/1.012 है0, 5/0.042 है0 = 1.035 है0।

उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिए जाते है। यदि किसी खातेदार के पक्ष में रहन है तो वह यथावत् रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

::—परचा डिक्री—::

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(पीठासीन अधिकारी :— सन्दीप कुमार आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 82/2019(GCMS No. 2019/00103) दायर दिनांक 28.06.2019

अनवान :—

1. भादरराम पुत्र श्री भगवानीया जाति सांसी निवासी अर्जनोतपुरा तह0 सूरतगढ।

—वादी

बनाम

1. सहीराम पुत्र श्री भगवानीया जाति सांसी निवासी कमाणा तह0 व जिला हनुमानगढ राज0।
2. हरीराम
3. मंगलाराम
4. नन्दराम
5. औमप्रकाश

} पि0 भगवानीया अकवाम सांसी निवासीयान अर्जनोतपुरा तह0 सूरतगढ।

6. प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा कूपली तह0 श्रीविजयनगर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 53 रा0 का0 अधिनियम मुकदमा नं0 61/2017 यह मुकदमा इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी अजय कुमार अरोड़ा वादी एवं प्रमेन्द्र सिंह भाटी एवं हरीसिंह भाटी प्रतिवादीगण व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है किः—

वाद पत्र मय जवाब दावा स्वीकार किया जाता है। एवं वादपत्र में प्रशनगत भूमि चक 7 जी.डी.एम. तह0 सूरतगढ जमाबंदी सम्वंत 2072 से 75 के खाता सं0 84 प0 नं0 240/31 में किला नं0 1 ता 25/6.325 है0 कमाण्ड मय खाला का खाता विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

(क) वादी भादरराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 6/0.042 है0, 7 ता 10/1.012 है0 = 1.054 है0।

(ख) प्रतिवादी सं0 1 सहीराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 21 ता 24/1.012 है0, 25/0.042 है0 = 1.054 है0।

(ग) प्रतिवादी सं0 2 हरीराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 16/0.042 है0, 17 ता 20/1.012 है0 = 1.054 है0।

(घ) प्रतिवादी सं0 3 मंगलाराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 11 ता 14/1.012 है0, 15/0.042 है0 = 1.054 है0।

(ड़) प्रतिवादी सं0 4 नंदराम चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 5/0.211 है0, 6/0.211 है0, 15/0.211 है0, 16/0.211 है0, 25/0.211 है0 = 1.053 है0।

(ड़) प्रतिवादी सं0 5 औमप्रकाश चक 7 जी.डी.एम. प0 नं0 240/31 किला नं0 1 से 4/1.012 है0, 5/0.042 है0 = 1.054 है0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:08:52 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिए जाते है। यदि किसी खातेदार के पक्ष में रहन है तो वह यथावत् रहेगा।............X............ मुबलिग ....X............... बाबत...............X...............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह...............X............... फस्दों की पालना .... X............... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18.12.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)